न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2016 (रसद)
पंजीयन दिनांक 04.11.2016

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री गोपाल तेली पिता शिवलाल तेली, निवासी सेमलपुरा, थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़
2–श्री बसन्तीलाल पिता भैरूलाल बोहरा, निवासी गुन्दीपाड़ा देहली गेट, चित्तौड़गढ़
3–श्री मुकेश मेनारिया पिता चतरलाल मेनारिया, निवासी सुवानिया थाना गंगरार जिला–चित्तौड़गढ़
4–श्री पुखराज पिता किशन बैरवा, निवासी केरोट थाना केकडी हाल नगरी, थाना बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तुत अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण के संबंध में।

उपस्थितिः– 1–श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2–श्री संजय जोशी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

निर्णय

दिनांक 30.01.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.07.2016 को श्री गजेन्द्र सिंह जोधा पुलिस उप अधीक्षक वृत चित्तौड़गढ़ को एफ. सी. आई. के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाले राशन के गेहूँ से भरा ट्रक नम्बर RJ 06 GA 1204 गोपाल नगर इण्डस्ट्रीयल एरिया में स्थित नितिन फ्लोर मिल्स में खाली होने तथा जिनसे बदनियतिपूर्वक कालाबाजारी करने के लिये आटा पीसकर उन्हें अन्य कट्टों मे भरकर अवैध तरीके से बाजार भाव में बेचने की जरिये मुखबीर सूचना मिलने पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता मय अनुसंधान सामग्री गोपाल नगर इण्डस्ट्रीयल एरिया स्थित नितिन फ्लोर मिल्स पर पहुंच गोदाम चेक किया तो अन्दर गेहूँ से भरे बोरे जिन पर भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य विभाग लिखा हुआ पाया गया तथा सभी बोरे सिलाई किये हुवे थे। गोदाम के अन्दर गेहूँ पीसने का प्लान्ट लगा हुआ जिसके पास में खाली बोरे भारतीय खाद्य निगम वगैरा के पडे हुए एवं गोदाम में रखे बोरों को देख श्री कल्याण सहाय करोल, प्रवर्तन अधिकारी ने सार्वजनिक

वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाला सरकारी गेहूँ बताया जिस पर गोदाम में उपस्थित व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गोपाल लाल पिता शिवलाल तेली निवासी सेमलपुरा तथा स्वयं को नितिन फ्लोर मिल्स का मुनीम होना बताया, आगे पूछने पर फ्लोर मिल्स के मालिक श्री बसन्ती लाल पिता भैरूलाल बोहरा निवासी गुन्दीपाड़ा देहली गेट चित्तौड़गढ़ द्वारा आज सुबह करीब 4-5 बजे गोदाम पर आकर स्वयं की देखरेख में गेहूँ का ट्रक खाली करवाना जिसके नम्बर RJ 06 GA 1204 तथा चालक पुखराज होना तथा एफ. सी. आई. के गेहूँ का ट्रक गोदाम पर ठेकेदार मुकेश मेनारिया द्वारा भिजवाया जाना जिसके एफ. सी. आई. से गेहूँ सप्लाई का ठेका है उससे सेठजी द्वारा राशन के गेहूँ डलवाये जाते हैं जिन्हें प्लान्ट में पीसकर शक्तिमान के कट्टों मे भरकर सेठजी की न्यु क्लॉथ मार्केट स्थित दुकान पर बाजार भाव में उक्त आटा बेचना बताया। मुनीम श्री गोपाल तेली को भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी राशन के गेहूँ की बोरियों को अपने कब्जे में रखने हेतु अनुज्ञापत्र के बारे में पूछा तो कोई अनुज्ञापत्र या दस्तावेज नहीं होना बताया। इस प्रकार ठेकेदार मुकेश मेनारिया व ड्राईवर पुखराज द्वारा जनता के राशन के गेहूँ को अन्य फर्मो को बेचना, जनता के साथ धोखा व उससे अनुचित लाभ कमाना तथा फर्म मालिक बसन्ती लाल बोहरा व मुनीम गोपाल द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन डिलरों को वितरित किये जाने वाले राशन के गेहूँ को अपने कब्जे मे रखना व राशन के गेहूँ को राशन डिलरों को पहुंचाने के बजाय अन्य को अवैध रूप से बेचना अमानत में खयानत कर अपनी फ्लोर मिल्स से निर्मित आटा को बाजार भाव में अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु बेचना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व धारा 406, 420 भा. द. सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने से गोदाम में रखे हुए गेहूँ के बोरों की गिनती की तो कुल 300 बोरे जिनका वजन 150 क्विंटल तथा 128 खाली बोरों तथा ट्रक नम्बर RJ 06 GA 1204 को जब्त कर कब्जे पुलिस लेकर 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत जब्त शुदा गेहूं एवं वाहन के निस्तारण हेतु थानाधिकारी थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवती लाल मेनारिया ने अधिकार पत्र पेश किया तथा उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 4 व उसके अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए। अतः विपक्षी संख्या 1, 3 व 4 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय जोशी द्वारा अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। जवाब पेश होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि दिनांक 28.07.2016 को श्री गजेन्द्र सिंह जोधा पुलिस उप अधीक्षक चित्तौड़गढ़ को एफ. सी. आई. गोदाम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण किये जाने वाले राशन के गेहूं के काला बाजारी की सूचना मिलने पर गोपाल नगर इण्डस्ट्रीयल एरिया स्थित नितिन फ्लोर मिल्स पर पहुंच कर जांच की तो गोदाम के बाहर ट्रक

नं. RJ 06 GA 1204 खडा मिला। गोदाम के अन्दर गेहूँ से भरे पाये गये बोरों पर भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य विभाग की छाप लगी हुई पाई गई तथा साथ ही आटा पीसने के प्लान्ट के पास खाली पडे हुए बोरों पर भी भारतीय खाद्य निगम वगैरा की छाप पाई गई। मौके पर तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी श्री करौल द्वारा भी उक्त गेहूं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाला सरकारी गेहूं ही बताया है। नितिन फ्लोर मिल्स के मुनीम गोपाल लाल तेली ने भी एफ. सी. आई. के गोदाम से आने वाले गेहूं का आटा पीसकर उसे बाजार भाव में बेचने की बात को स्वीकार किया साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले राशन के गेहूं को अपने कब्जे में रखने बाबत् अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछने पर अपने पास कोई अनुज्ञा पत्र या दस्तावेज नहीं होना बताया। इस प्रकार उक्त पाया गया गेहूं राशन की दुकान से वितरण किया जाने वाला गेहूं होने से विपक्षीगण द्वारा उचित मूल्य सामग्री को अनुचित लाभ कमाने के लिये अपने कब्जे में अवैध रूप से रखना उसकी कालाबाजारी करना व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त जब्त किये गये गेहूं को राजसात (Confiscate) करने का आदेश फरमावें।

विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी की फर्म से जब्त किया गया गेहूं प्रार्थी स्वयं का खरीदशुदा माल है। एफ. सी. आई. ओपन मार्केट नीति के तहत हर महिने माल सेल करती है उक्त माल को प्रार्थी ने जाणी ब्रदर्स नागौर से क्रय किया है जो जरिये बिल संख्या 903 दिनांक 01.03.2016 को क्रय किया गया जिसकी बिल्टी भी प्रार्थी के पास मौजूद है अतः जब्तशुदा गेहूँ प्रार्थी को दिलाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। जब्तशुदा ट्रक संख्या RJ 06 GA 1204 को पूर्व में प्रकरण संख्या 61/2016 (रे.वि.) में दिनांक 04.10.2016 को उसके वैद्य स्वामी को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर रिलीज करने के आदेश दिये जा चुके हैं। पुलिस उप अधीक्षक एवं तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी श्री करौल द्वारा नितिन फ्लोर मिल्स पर जांच की गई तो गोदाम के बाहर ट्रक संख्या RJ 06 GA 1204 खडा हुआ पाया जिसमें एफ. सी. आई. के गेहूं राशन डिलरों को पहुंचाने हेतु भरवाये गये थे। मौके पर गोदाम के अन्दर पडे गेहूँ से भरे हुए बोरों पर तथा आटा पीसने के प्लान्ट के पास खाली पडे हुए बोरों पर भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य विभाग की छाप पाई गई।

विपक्षी का कथन की उक्त गेहूँ उसके द्वारा जाणी ब्रदर्स नागौर से क्रय किया गया है तथा बिल्टी व बिल भी उसके पास है। विपक्षी द्वारा पेश किए बिलों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा जरिये बिल संख्या 894 से दिनांक 10.02.2016 को तथा बिल संख्या 903 से दिनांक 01.03.2016 को गेहूं क्रय किया गया है जबकि उक्त कार्यवाही विपक्षी के गोदाम पर दिनांक 28.07.2016 को की गई है जो कि उसके जाणी ब्रदर्स नागौर से गेहूं क्रय करने के लगभग 4-5 माह बाद की गई है तथा विपक्षी के आटा पीसने का प्लान्ट होने से उक्त

कय किये गये गेहूं 4-5 माह की अवधि तक पडे रहने की बात मानने योग्य नहीं है। साथ ही मौके पर विपक्षी के गोदाम पर ट्रक संख्या RJ 06 GA 1204 जिसमें एफ. सी. आई. के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले राशन के गेहूँ भरवाये गये थे, भी खड़ा पाया गया है तथा मौके पर उपस्थित गोदाम के मुनीम श्री गोपाल लाल तेली ने एफ. सी. आई. से गेहूँ सप्लाई करने वाले ठेकेदार श्री मुकेश मेनारिया द्वारा उक्त राशन के गेहूँ ट्रक संख्या RJ 06 GA 1204 में भरकर गोदाम पर भिजवाया जाना तथा गोदाम के मालिक श्री बसन्तीलाल बोहरा द्वारा उक्त ट्रक से अपनी देखरेख में राशन का गेहूं अपने गोदाम में खाली कराना और उक्त गेहूं का आटा पीसकर अपनी न्यु क्लॉथ मार्केट स्थित दुकान पर बाजार भाव में बेचने की बात को स्वीकार किया है। मौके पर 244 बोरे (प्रत्येक 50 कि.ग्रा. मय बारदान) जिन पर GOVERNMENT OF HARIYANA, 03 बोरे (प्रत्येक 50 कि.ग्रा. मय बारदान) जिन पर GOVERNMENT OF PUNJAB, 07 बोरे (प्रत्येक 50 कि.ग्रा. मय बारदान) जिन पर GOVERNMENT OF U.P., 04 बोरे (प्रत्येक 50 कि.ग्रा. मय बारदान) जिन पर भारतीय खाद्य निगम, 03 बोरे (प्रत्येक 50 कि.ग्रा. मय बारदान) जिन पर जे एस एफ सी की छापें लगी हुई पाए गए तथा मात्र 39 बोरे (प्रत्येक 50 कि.ग्रा. मय बारदान) ही ऐसे पाए गए जिन पर कोई छाप नहीं पाई गई तथा उक्त एफ. सी. आई. के गेहूं को अपने कब्जे में रखने से अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछने पर अपने पास कोई अनुज्ञा पत्र या दस्तावेज नहीं होना बताया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन डीलरों को वितरित किये जाने वाले राशन के गेहूं को राशन डीलरों तक नहीं पहुंचाकर अपने कब्जे मे रखकर अवैध रूप से बेचने, अनुचित लाभ प्राप्त करने/कालाबाजारी करने की पुष्टि होती है। जिससे जब्त शुदा गेहूं राजसात किये जाने योग्य है।

अतः दिनांक 28.07.2016 को पुलिस उप अधीक्षक वृत चित्तौड़गढ़ द्वारा जब्त शुदा गेहूँ कुल 300 बोरे जिनका वजन 150 क्विंटल मय 128 खाली बोरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन डीलरों को वितरित किया जाने वाला राशन का गेहूं पाया जाने से राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, चितौड़गढ उक्त जब्त शुदा गेहूं को थानाधिकारी, थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त आय को राजकोष में जमा करा पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)